कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1087 / 2021 / 10–11 / 4209 भोपाल, दिनांक 12/12/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– रतलाम जिले में रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB004/2022-BHO दिनांक 29.08.2022

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	As indicated in Mauka Panchnama an existing road of width 3.75 meter is already metaled. Since this road is in Forest Land, when was the existing road constructed? If after 1980 and permission was not taken under FCA, 1980 then the proposal should include the area of existing road as well and in this scenario action needs to be initiated in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines.	उक्त मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1970–71 में भू–अर्जन 8.75 मीटर चौड़ाई में किया जाकर 3.75 मीटर चौड़ाई में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क एवं 1.5 मीटर – 1.5 मीटर शोल्डर से निर्माण किया गया। मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर लोका निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज हेाकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट वर्ष 1970–71 में मार्ग प्रदर्शित हो रहा है।
2	Administrative approval/sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.05.2018 की छायाप्रति संलग्न है।
3	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be clarified along with KML file.	आपके द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में आवेदक संस्थान ने संशोधित KML file पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
4	Area calculation sheet shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने Area calculation sheet प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

-2-

5	Details of forest land/non-forest land incorporated in the proposal. Land Schedule shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने forest land/non-forest land की जानकारी प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Muck calculation पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
7	Details of existing ROW, proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation shall be submitted and accordingly plantation scheme for roadside. plantation needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि 5.50 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण का कार्य एवं 2.25 मीटर–2.25 मीटर के शोल्डर निर्माण के पश्चात शेष भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वन मण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
8	It needs to be clarified that how the width of the road is reduced without administrative approval and if sanction for the same is accorded by Competent Authority, then copy of same needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि इस निर्माण कार्य का सर्वेक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने के लिए मेसर्स एल.एन.एम. इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्रा.लि. कन्सलटेन्ट नियुक्त है जिनके द्वारा अनुमोदित एन–सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन के अनुसार कुल आर.ओ.डब्ल्यु. में लगभग 15.054 मीटर चौड़ाई में लिया गया है। पूर्व में प्रस्तावित 16 मीटर चौड़ाई से कम आवश्यकतानुसार औसतन 15.054 मीटर चौड़ाई की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है,
		ताकि कम से कम वनक्षेत्र प्रभावित हो।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

9/12/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1087 / 2021 / 10–11 / 4210 भोपाल, दिनांक 12/12/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, कलेक्ट्रेट के पास रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9/12/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 4322 / टी.एस. / 22–23 / रतलाम दिनांक 23-11-2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश
भोपाल

विषय– रतलाम जिले में रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ– आपका पत्र क्रमांक एफ–5 / 1087 / 2021 / 10–11 / 3740 दिनांक 04.11.2022

––00––

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से विषयाकिंत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, जिसका बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है–

1. उक्त मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 1970–71 में भू–अर्जन 8.75 मीटर चौड़ाई में किया जाकर 3.75 मी. चौडाई में डब्ल्यु.बी.एम. सड़क एवं 1.5 मीटर –1.5 मीटर के शोल्डर से निर्माण किया गया। मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। इस क्षेत्र की सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 1970–71 की टोपोशीट क्रमांक 46 I/15 जिसमें मार्ग (Road) प्रदर्शित हो रहा है।
2. बिन्दु क्रमांक 02 में चाही गई प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।
3. बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार पूर्व में वन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार KML File तैयार कराकर ऑनलाईन अनुमति हेतु आवेदन किया गया। जिसकी लंबाई 6.865 कि.मी. थी। तत्पश्चात वन विभाग के DSS बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वन क्षेत्र सीमा (Working Plan Boundry) में परिवर्तन हो जाने के कारण वन विभाग के द्वारा बताई गई वन क्षेत्र में नवीन KML File के अनुसार लंबाई 7.985 कि.मी. हुई है। जिसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
4. बिन्दु क्रमांक 04 में चाही गई Area Calclulation sheet पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
5. बिन्दु क्रमांक 05 में चाही गई Forest /Non Forest land की जानकारी पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6. बिन्दु क्रमांक 06 में चाही गई Muck Calclulation पूर्व में प्रस्तुत की जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
7. 5.50 मीटर चौडाई में डामरीकरण का कार्य एवं 2.25 मीटर–2.25 मीटर के शोल्डर निर्माण के पश्चात शेष भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वनमण्डलाधिकारी रतलाम के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
8. इस निर्माण कार्य का सर्वेक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मेसर्स एल.एन.एम. इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्रा. लि. कन्सलटेन्ट नियुक्त हैं जिनके द्वारा अनुमोदित एल–सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन के अनुसार कुल आर.ओ.डब्ल्यु. लगभग 15.054 मीटर लिया गया है। कन्सलटेन्ट का वन क्षेत्र में आवश्यक चौडाई के संबंध में पत्र है।
पूर्व में प्रस्तावित 16 मीटर चौडाई से कम आवश्यकतानुसार औसतन 15.054 मीटर चौडाई की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है। ताकि कम से कम वन क्षेत्र प्रभावित हों।

कृपया निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि जनहित में शासकीय सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 8220
30/11/22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\S\TS LETTER\...docx

पृ. क्रमांक................/टी.एस./22–23/ रतलाम दिनांक....................

प्रतिलिपिः–

1) वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल रतलाम की ओर आपके पत्र क्रमांक 4598 दिनांक 10.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्‌यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010
E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in
Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/माचि/2022/4360 उज्जैन, दिनांक 05-06-2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– रतलाम जिले मे रतलाम–मोरवनी–उगर–रावटी–वाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.997 हे. वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./एफ–5/2022/10–11/1037 दिनांक 17–03–2022 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन मे निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्र. 2690 दिनांक 27–06–2022 से प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ली गई आपत्तियों की पूर्ति कर 4.977 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव संशोधित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव 02 प्रतियों मे अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/मा.चि./2022/4361 उज्जैन, दिनांक 05-06-2022

प्रतिलिपि :–

01– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम की ओर सूचनार्थ अग्रेपित।

02– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड, रतलाम (म.प्र.)
टैलीफैक्स नं. (07412) 270418
E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/2690 रतलाम, दिनांक : 27-06-2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त,
उज्जैन

विषय :- रतलाम जिले में रतलाम मोरवनी–उमर –रावटी– बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र./16–MPB 004/2022 BHO दिनांक 25–02–2022, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क./एफ–5/1087/2021/10–11/730 दिनांक 02–03–2022, 1036 दिनांक 17–03–2022

–0–

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा DSS Analysis रिपोर्ट अनुसार ली गई आपत्ति की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा किया जाकर उनके पत्र क/2591/टी.एस/22–23 दिनांक 23–06–2022 से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र में छुटे हुए वनक्षेत्र को शामिल कर कुल लम्बाई 7895 मी. और चौड़ाई कम करते हुए 6.304 मी. इस प्रकार कुल रकबा 49770 वर्ग मीटर अर्थात 4.977 हेक्टेयर का प्रस्ताव संशोधित किया गया है, प्रस्तावित वन क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल संशोधित कर परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन प्रकरण में प्रकरण कमांक FP/MP/ROAD/44455/2020 में अपलोड की गई है। साथ ही संशोधित वन क्षेत्र का मानचित्र (टोपोशीट एवं जियो रिफ्रेंस मेप) तैयार कर पोर्टल में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक विभाग का प्रतिवेदन मय संलग्न अभिलेख आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन (तीन प्रति)।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2022/2691 रतलाम, दिनांक : 27-06-2022

प्रतिलिपि :-

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 4/05/2018

क्रमांक एफ- 28/03/2018/19/यो 1865

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल

विषयः-न्यू डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से "म.प्र. मुख्य जिला मार्ग परियोजना-II की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- 1. आपकी टीप क्रमांक 42/प्र0अ0/लो0नि0वि0/2017 दिनांक 07.12.2017

-o-

राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद् आदेश दिनांक 23.04.2018 के परिपालन मे न्यू डेव्हलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से मार्गो के निर्माण/उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना म.प्र. में मुख्य जिला मार्गो के उन्नयन हेतु परियोजना-II का कार्य संपादित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2) "मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्गो के उन्नयन हेतु परियोजना-II" में संलग्न परिशिष्ट 'इ' के अनुसार 2143 कि.मी. लम्बाई के 87 मार्गो के निर्माण/ उन्नयन हेतु रुपये 3250 करोड़ (500 मिलियन अमेरिकी डालर) जिसमें 70 प्रतिशत न्यू डेव्हलपमेंट बैंक का ऋण रु. 2275 करोड़ (350 मिलियन अमेरिकी डालर) तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग रु. 975 करोड़ (150 मिलियन अमेरिकी डालर) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3) परिशिष्ट-ई में उल्लेखित सड़कों की सूची में सम्मिलित कार्य को किसी अन्य परियोजना में स्वीकृति दिये जाने अथवा अन्य कारणों जैसे प्राप्त निविदाओं की कम दर प्राप्त होने आदि की स्थिति में प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग की सहमति उपरांत परियोजनाओं की कुल लागत के अध्याधीन अनुमोदित सूची में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करता है।

सहपत्रः- परिशिष्ट-ई

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.5.18
(आर.के. मेहरा)
सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.

Patil-2/APR/Hindi Letter 115

मुख्य जिला मार्गो के उन्नयन हेतु न्यु डेव्हलपमेंट बैंक (NDB) परियोजना–II

क्र.	जिले का नाम	मुख्य जिला मार्ग का क्रमांक	मुख्य जिला मार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी)	पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	MP-MDR-26-01	घाटपिपल्या डोंगरिया बपैया गोगापुर सिपावरा सेमलिया रामनगर सोनचिड़ी डुंगरखेडी से पाटमार्ग	82.00	73.00
2	उज्जैन	MP-MDR-26-04	महिदपुर से कछालियाचांद–व्हाया झार्डा – कुण्डीखेडा– नाग गुराडिया–लालगढ़ मार्ग	50.00	35.00
3	उज्जैन	MP-MDR-26-05	कंचनखेड़ी भेसोला बंजारी, श्रीदास गोढरा मार्ग	21.00	21.00
	उज्जैन	MP-MDR-26-07	नागदा–बनबना–बोरखेड़ा–पितरामल– मुण्डला परवल– रूद्रहेडा– महिदपुर मार्ग	40.00	36.40
	उज्जैन / धार	MP-MDR-26-16	बड़नगर–केसूर मार्ग	32.60	32.60
6	शजापुर	MP-MDR-24-02	सुनेरा खोरिया एमा मोमन बड़ोदिया मार्ग	21.00	20.30
	आगर	MP-MDR-23-05	आमला नलखेड़ा मार्ग	15.80	13.80
	रतलाम	MP-MDR-25-20	रतलाम मोरवानी उमरख रावटी बाजना मार्ग	48.00	48.00
	रतलाम	MP-MDR-25-23	गुणावद बरवोदना रघुंनाथगढ़, केरवासा उपलई (एन.एच.31) सूतेड़ा मार्ग	23.00	18.00
	इंदौर	MP-MDR-45-17	उषापुरा सिकंदरी मोहम्मदपुर रोलाय कालासुरा बेटमा मार्ग	19.60	15.10
	इंदौर	MP-MDR-45-28	सिमरोल उदयनगर मार्ग	20.00	20.00
	इंदौर	MP-MDR-45-29	खेड़ी चेनपुरा–कदमपुर–सीतापाट– थवलाय –जामली मार्ग	17.00	16.00
	धार	MP-MDR-46-22	चन्दावड़ से धामनोद मार्ग	11.00	11.00
	धार	MP-MDR-46-27	निसरपुर पड़ियसाल अली अराड़ा डही मार्ग	49.00	49.00
15	खण्डवा	MP-MDR-50-03	सुलगांव निमाडखेडी बांगरदा धनगांव बोराड़ी कालमुखी मार्ग	21.90	21.90
	खण्डवा	MP-MDR-50-07	बीड़ सहेजला सेल्दा संत सिंगाजी पुल चारखेड़ा छनेरा बरूड पिपलानी खण्डवा जिला सीमा तक मार्ग	62.65	29.60
	खण्डवा	MP-MDR-50-15	खण्डवा अहमदपुर कालमुखी केलवा मार्ग	53.70	53.70
	खण्डवा	MP-MDR-50-21	जलकुआ भगियापुर सेमलिया गुड़ी मार्ग	21.60	21.60
	खण्डवा	MP-MDR-50-23	पंधाना निहालवाडी ढाभी पश्चिम निमाड सीमा तक मार्ग	16.50	16.50

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,

चन्द्र प्रकाश अग्रवाल
सचिव म.प्र शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक एफ-28/03/2018/19/यो 1866 भोपाल दिनांक 4/05/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता म.प्र. सडक विकास निगम भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- 0

4.5.18

सचिव

म.प्र. शासन, लो.नि.वि

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION RATLAM

AREA CALCULATION SHEET

FOREST AREA PART - A

Comp. No.	Length (m.)	Width Both Side (m.) (15.054 m. - 8.75 m.)	Area (Sqm)	Area (Ha.)
PF - 76	320	6.304	2017.28	0.2017
PF - 77	818	6.304	5156.67	0.5157
PF - 69	823	6.304	5188.19	0.5188
PF - 70	2793	6.304	17607.07	1.7607
PF - 51 & 52	3141	6.304	19800.86	1.9801
Total	**7895**	**Av. Width 6.304 m**	**49770.08**	**4.977**

NON FOREST AREA PART - B

KML FILE	LENGTH (MTR.)	WIDTH (MTR.)	AREA (SQM)	AREA (HA)
ROAD 1	1687	20	33740	3.374
ROAD 2	1430	20	28600	2.86
ROAD 3	788	20	15760	1.576
ROAD 4	681	20	13620	1.362
ROAD 5	1125	20	22500	2.25
ROAD 6	23142	20	462840	46.284
ROAD 7	11423	20	228460	22.846
Total	40276	Av. Width 20 m	805520	80.552

Executive Engineer
PWD Division Ratlam

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

Proposal No.:6-FP/MP/ROAD/44455/2020-4.977 Ha		Date:20 January, 2022
Project type :Road	State :Madhya Pradesh	District :Ratlam

Items	Proposed Area (ha)	DSS Area (ha)	Details (web portal)
Proposed Diversion Area	4.977	4.961	1. Toposheet map : Yes 2. Geo-reference map: Yes 3. KML file Uploaded on web portal: Yes 4. Distance from nearest PA(Aerial Distance): 48.23 km away from Sardarpur WLS 5. Forest Cover (ha): Non Forest Cover: 4.96 6. Observation: As per DSS server and WP Forest Boundary, it appears that the total length of submitted KML is 6.84 km. The 5.98 km length is falling in inside of available forest boundary. As per calculation 1.44 km length is short out of 7.42 km that is falling in inside of forest boundary.
Proposed CA Area	4.977	4.96	1. Toposheet map : Yes 2. Geo-reference map: Yes 3. KML file Uploaded on web portal: Yes

4. Forest Cover (ha):

Details	Prop. Area (Ha)	DSS Area (Ha)	VDF	MDF	OF	Scrub	Non Forest cover	Agri ./Hab. Impression	Previous Plantation Impression	WB/ etc.
Sherpur 858	4.977	4.96	0	0	0	0	5	-	-	-

Items	Proposed Area (ha)	DSS Rule –I	DSS Rule –II
Proposed Diversion Area	4.977	1. Not-inviolate	1. Not-inviolate

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF&CC, [illegible] DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

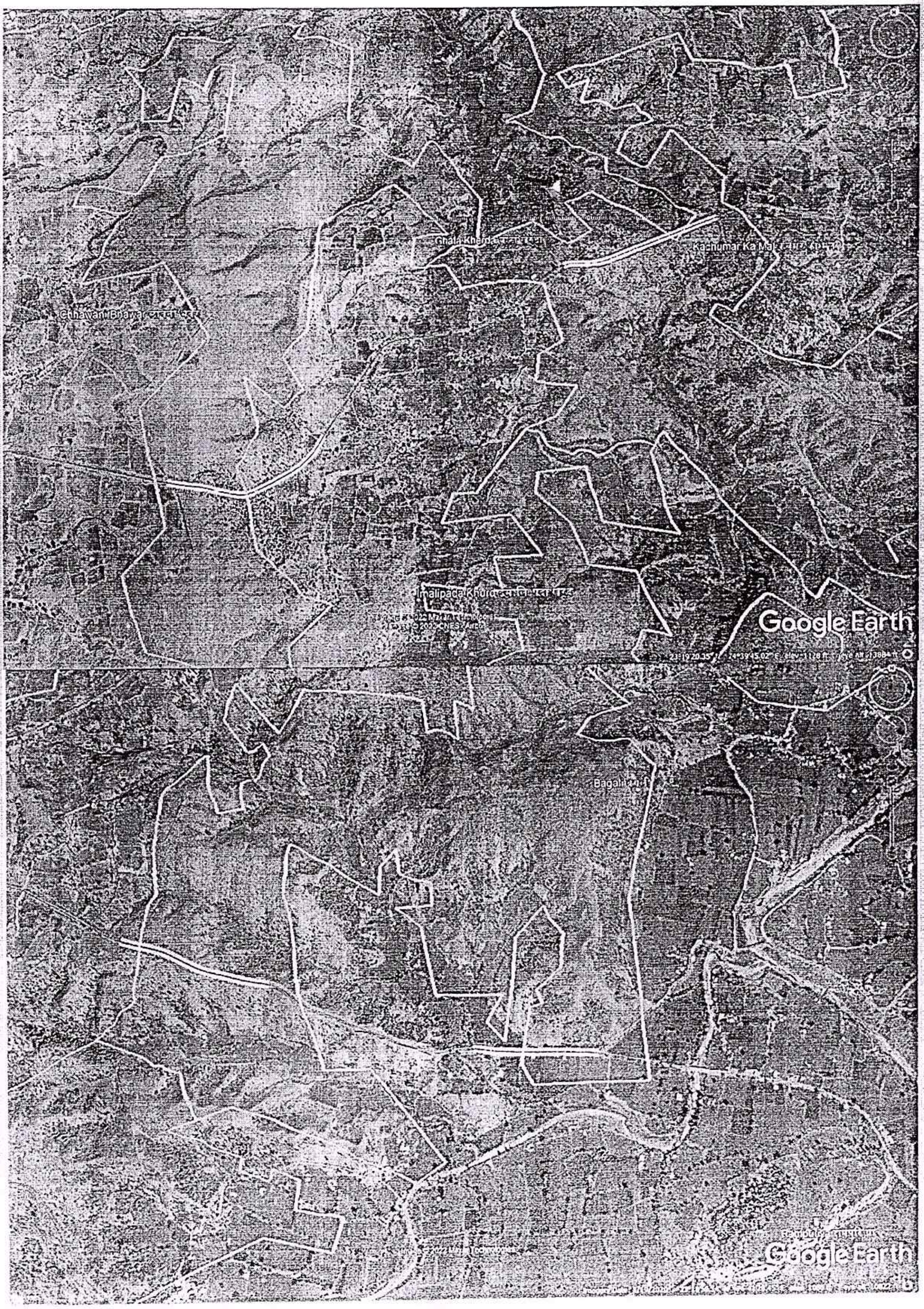

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

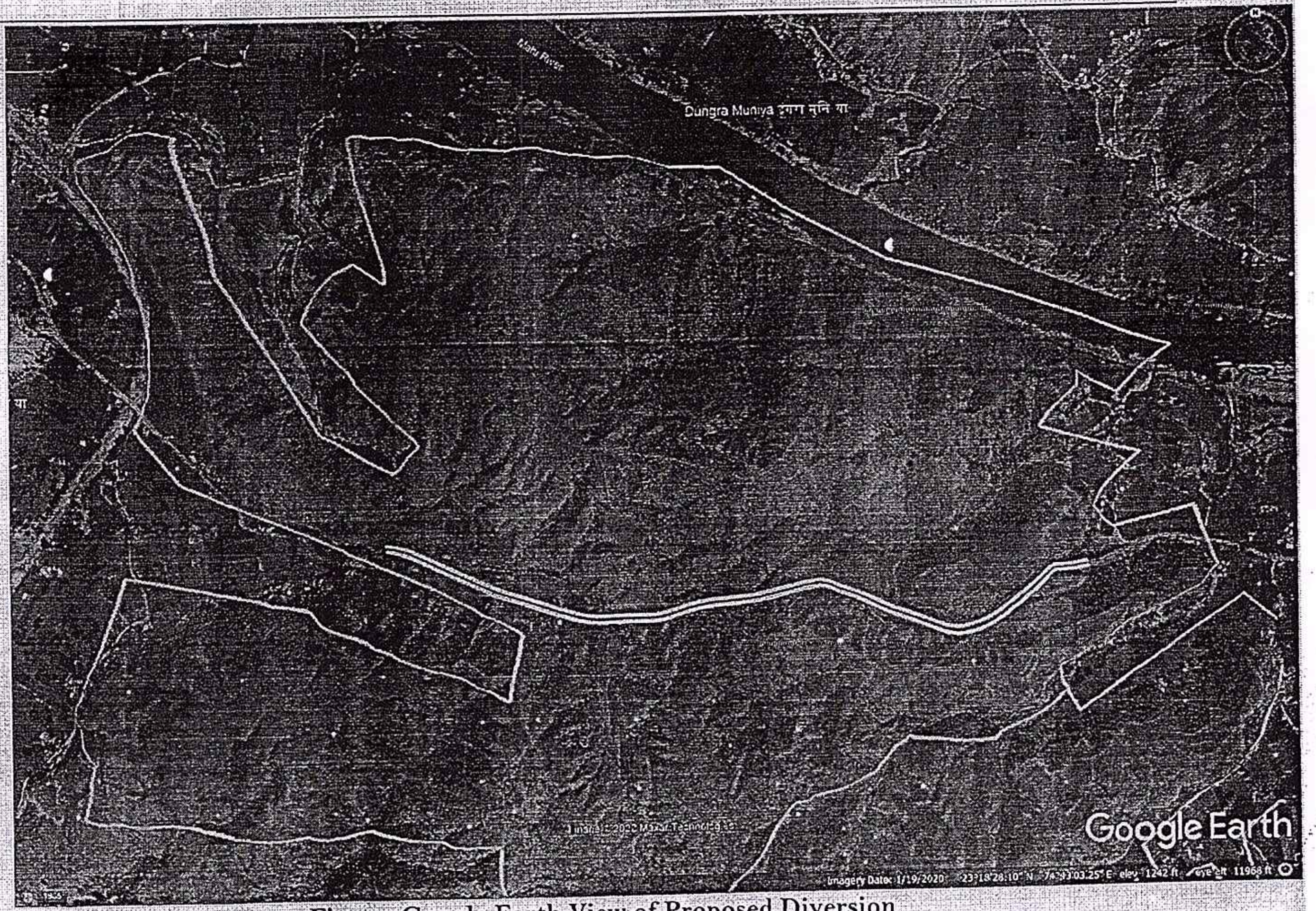

Figure: Google Earth View of Proposed Diversion

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

Proposed (KML) Land Cover Information: 4.961 Ha

proposed_prj

FID	Shape *	NAME	LAYER	area	
0	Polygon	P70 Part 1	Area : 6415 Ha.	0.639475	U
1	Polygon	P69 2 Part 2	Area : 0.1485 Ha.	0.148074	U
2	Polygon	P77 Part 2	Area : 0.225 Ha.	0.224338	U
3	Polygon	P69 1 Part 1	Area : 0.1320 Ha.	0.131587	U
4	Polygon	P70 Part 2	Area : 0.6415 Ha.	0.639442	U
5	Polygon	P76 Part 1	Area : 0.225 Ha.	0.22425	U
6	Polygon	P76 Part 2	Area : 0.225 Ha.	0.224335	U
7	Polygon	P51& 52 Part 2	Area : 1.1165 Ha.	1.112915	U
8	Polygon	P69 1 Part 2	Area : 0.1320 Ha.	0.131583	U
9	Polygon	P69 2 Part 1	Area : 0.1485 Ha.	0.147992	U
10	Polygon	P51& 52 Part 1	Area : 1.1165 Ha.	1.112946	U
11	Polygon	P77 Part 1	Area : 0.225 Ha.	0.224283	U

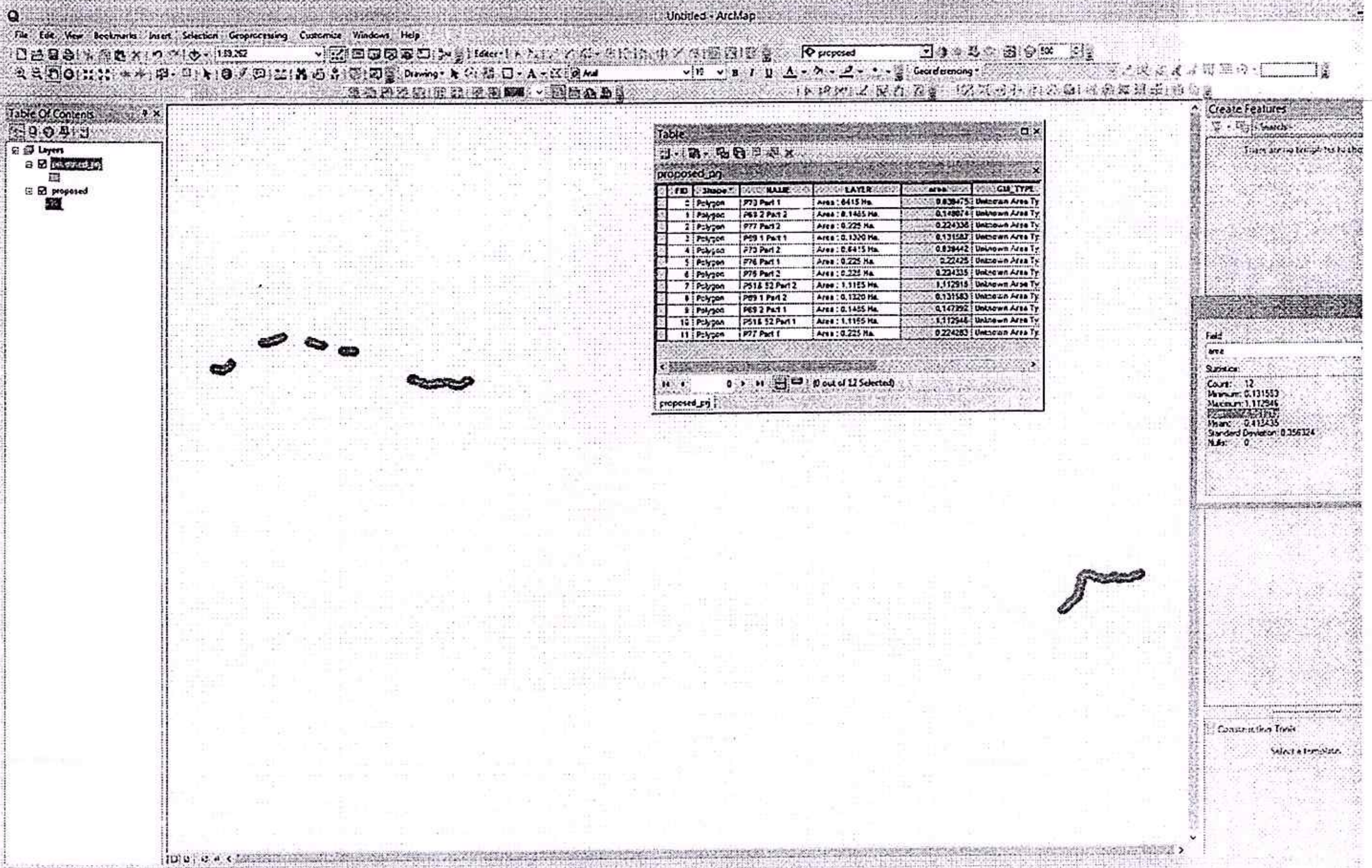

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

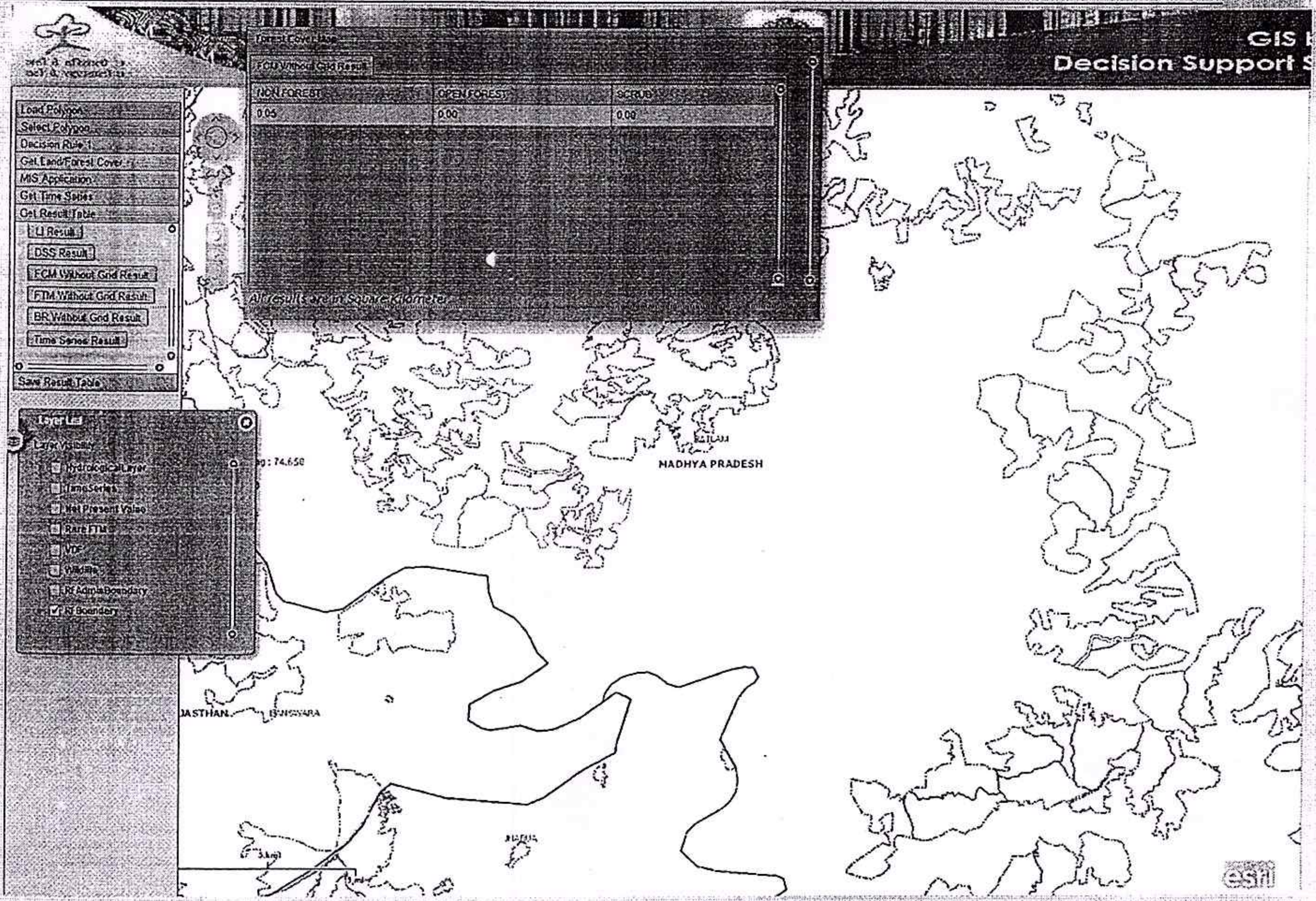

Area of the Land (Software calculated) is 4.96 **ha.** In terms of standards followed in ISFR 2019 (interpretation of satellite data period Oct.-Dec.2017-Jan.-March, 2018) regarding density classes:

All results are in square kilometers

FCM Analysis:

Non Forest
0.05

FTM Analysis:

5A/C3 Dry teak forest	Non Forest
0.04	0.04

BR Analysis:

Medium	Non Forest
0.03	0.02

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

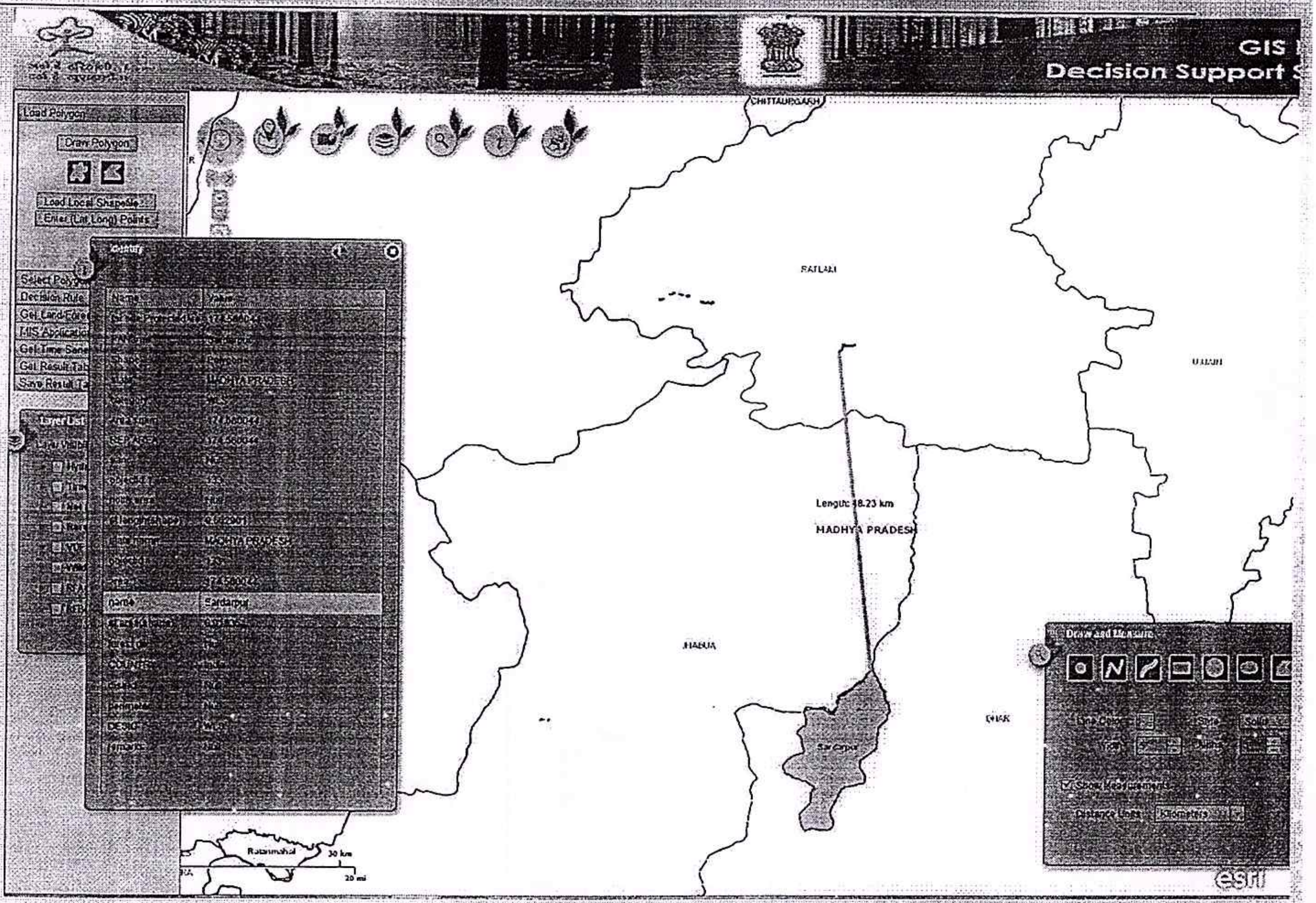

Figure: DSS View of Proposed Diversion (48.23 km away from Sardarpur WLS)

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

COMPENSATORY AFFORESTATION

CA Area Land Cover Information: 4.96 ha

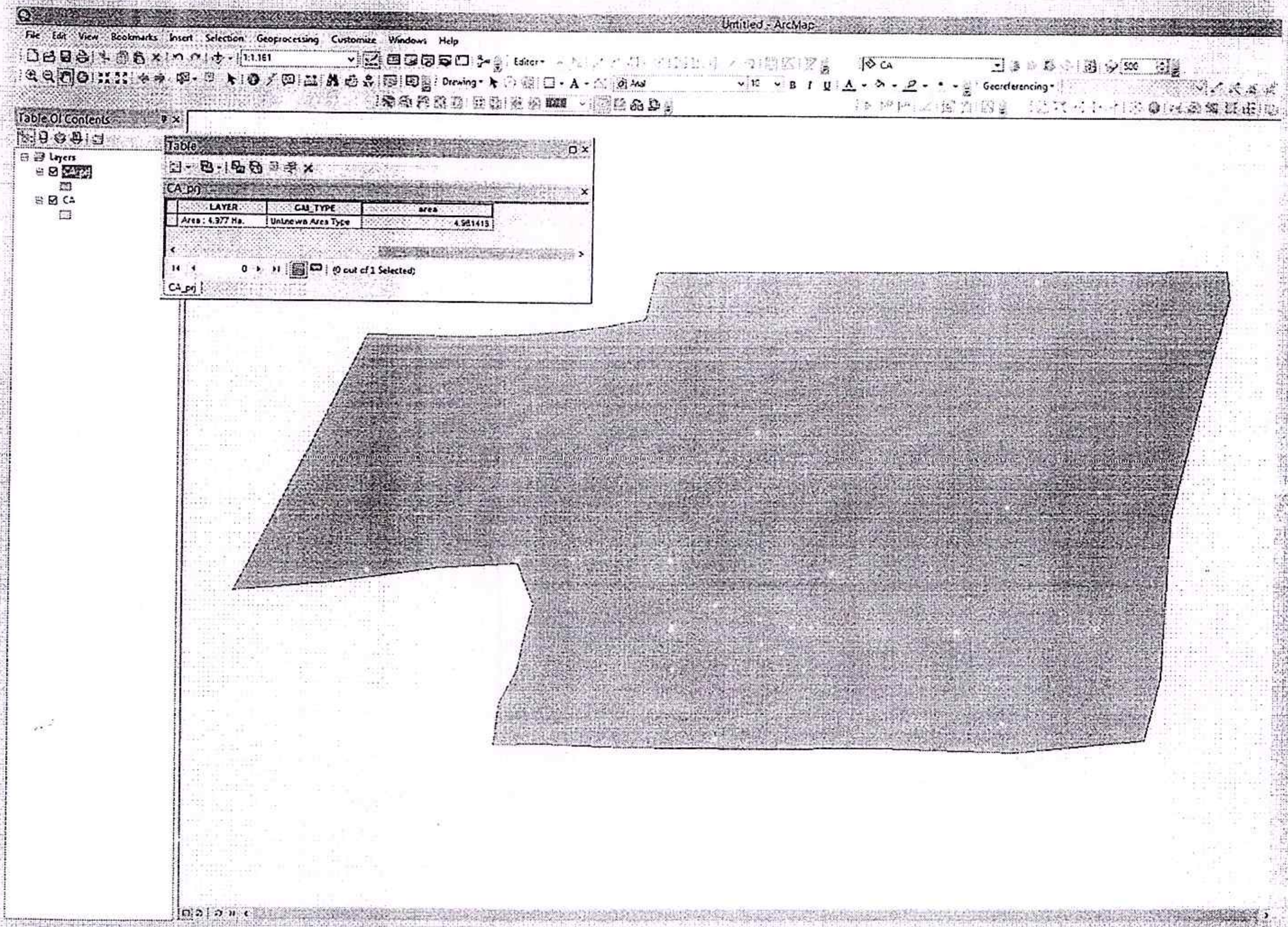

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

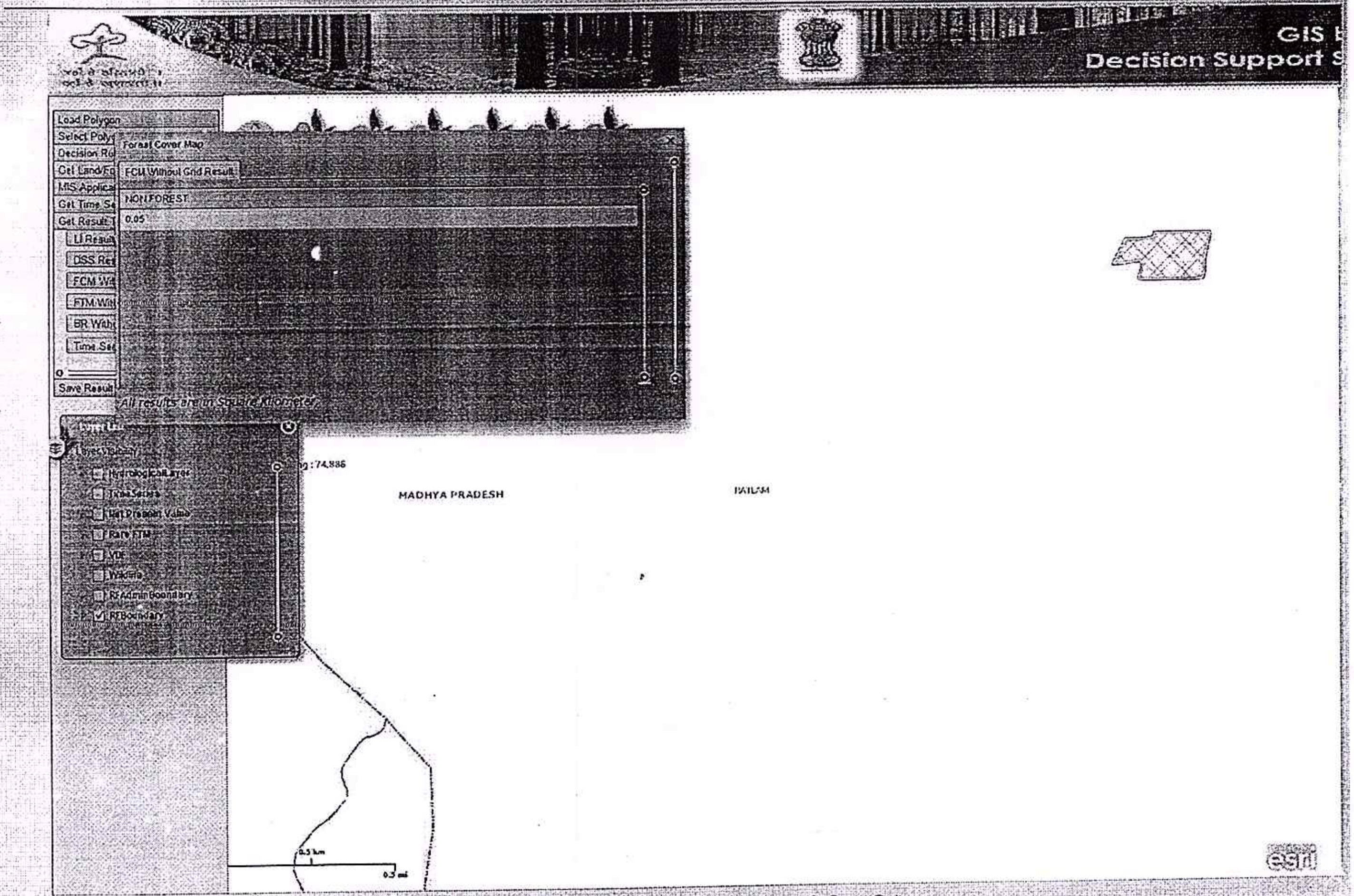

Figure: DSS view of Proposed Land for CA

Area of the Compensatory Afforestation Land (Software calculated) is 4.96 **ha.** In terms of standards followed in ISFR 2019 (interpretation of satellite data period Oct.-Dec.2017-Jan.-March, 2018) regarding density classes:

All results are in square kilometers

FCM Analysis:

Non Forest
0.05

FTM Analysis:

Non Forest
0.05

BR Analysis:

Non Forest
0.05

GIS BASED DSS INFORMATION

(MoEF & CC, FSI, DECISION SUPPORT SYSTEM GEOPORTAL)

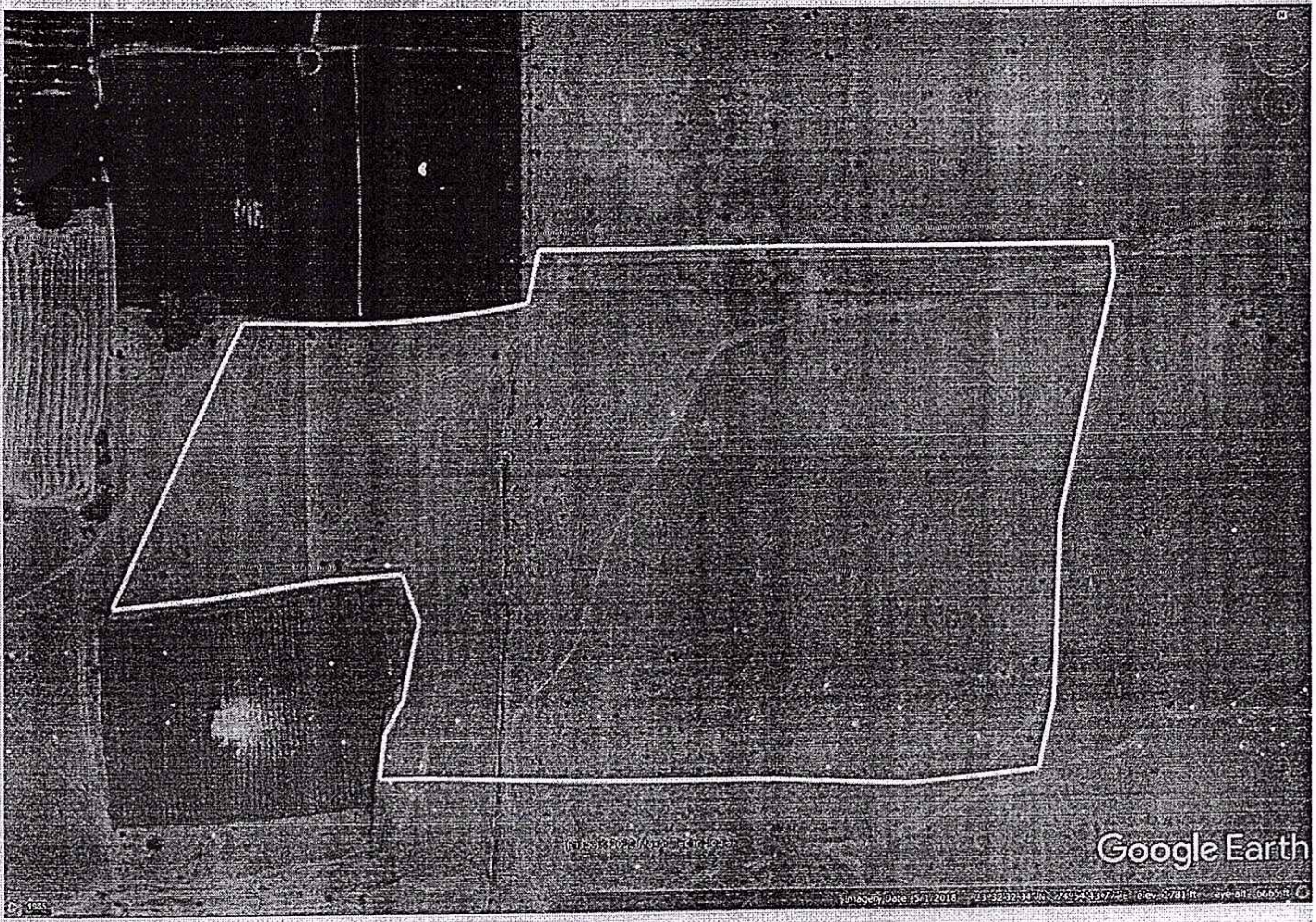

Figure: Google Earth view of Proposed CA Land

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

—:प्रमाण—पत्रः—

प्रमाणित किया जाता है कि रतलाम जिले में एन.डी.बी. योजनान्तर्गत रतलाम—मोरवानी—उमर—रावटी—बाजना मार्ग लम्बाई 48.26 कि.मी. का निर्माण कार्य के उक्त भाग में डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। डामरीकरण कार्य हेतु लगाया गया प्लांट वनक्षेत्र में स्थापित नहीं है, अपितु राजस्व भूमि क्षेत्र में है। उक्त सड़क का निर्माण Ministry of Road Transport and Highway के मापदण्ड अनुसार किया जाना है एवं निर्माण के दौरान कोई मलवा या कूडा निर्मित नही होगा। नवीन निर्माण के लिए पुरानी सतह को हटाने से प्राप्त सामग्री को गड्डा भराव इत्यादि में उपयोग किया जाएगा। वनक्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जाएगी।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

D:/TS/Letter 1

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 2591....../टी.एस./22–23/

रतलाम दिनांक 23-8-2022

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल--रतलाम (म.प्र.)

विषय– रतलाम जिले में रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ–1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB 004/2022-BHO/ Date 25-02-2022 से प्राप्त निर्देशानुसार।

2) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./1069 रतलाम दिनांक 24.03.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयन हेतु वन विभाग से अनुमति के संबंध में लोक निर्माण विभाग से संबंधित आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

कृपया निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नः– 1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जल संसाधन) (03 प्रति में)
2 क्षेत्र गणना पत्रक। (03 प्रति में)
3 कूड़ा निस्तारण प्रमाण–पत्र। (03 प्रति में)
4 KML फाईल संपूर्ण मार्ग गैर वनक्षेत्र। (साफ्ट कॉपी में)
5 टोपो शीट। (04 प्रति में)
6 जीयो मेप रिर्फरेंस। (04 प्रति में)

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक................/टी.एस./22–23/

रतलाम दिनांक..................

प्रतिलिपिः– अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना/लेखा/कोर्ट/मा.चि./शाखा
निरीक्षण/...

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)
टेलीफोन नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfoirtlam@mp.gov.in, dforatlam@mpforest.org

7

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3768 रतलाम, दिनांक 17-11-2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
पदेन वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौडीकरण कर उन्नयन कार्य करने में प्रभावित 4.977 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. / मा.चि. / 2021 / 7122 दिनांक 02–11–2021

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण में निवेदन है कि प्रकरण रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौडीकरण कर उन्नयन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्ताव में वन भूमि 4.977 हे. प्रभावित होने से प्रकरण संदर्भित पत्र से स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसका प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

बिन्दु 01. वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / 4050 दिनांक 30–12–2019 के अनुरूप है। इस संबंध में म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क. / एफ–03 / 11 / 2018 / 10–2 दिनांक 14–05–2019 से 04 मॉडल दर अनुसार 0–10 हेक्टेयर तक 05 हे. हेतु 8.93 लाख प्रति हे. दर्शाया गया है। जबकि प्रकरण के संलग्न क्षतिपूर्ति योजना 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर के मान से तैयार की गई है, जो मानक दर से भी कम है। इस संबंध मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / कैम्पा / 340 / 666 दिनांक 17–08–2021 से निर्देशित किया गया है। (पत्र संलग्न है।)

बिन्दु 02. प्रभावित होने वाली वन भूमि का वन परिक्षेत्राधिकारी शिवगढ एवं बाजना द्वारा मार्ग का भौतिक सत्यापन किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु 03. वन कक्ष क. पी–51 एवं 52 में प्रभावित होने वाली वन भूमि वर्तमान विद्यमान मार्ग संरेखण के मानचित्र से भिन्न प्रतीत है। इस बाबत् कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम के पत्र क. / 4346 / टी–एस / 21–22 दिनांक 12–11–2021 से अवगत कराया की वनकक्ष पी–51 एवं 52 में प्रभावित वन भूमि वर्तमान विद्यमान सड़क की भौतिक स्थिति मानचित्र अनुसार ही है। (पत्र संलग्न है)

बिन्दु 04. वर्तमान विद्यमान मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का है। जो सर्वे ऑफ इण्डिया वर्ष 1970–71 की प्रकाशित टोपोशीट पर पगडण्डी (Cart Track) प्रदर्शित हो रहा है। मार्ग की भूमि वर्ष 1975 में विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था। छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही कर वरिष्ट कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3769 रतलाम, दिनांक 17-11-2021

प्रतिलिपि :–

01 कार्यपालप यंत्री लोक निर्माण विभाग, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

L.N. MALVIYA INFRA PROJECTS PVT. LTD.

RE Office: House No. 320, Gali No.3, Kasturba Nagar, Ratlam – 457001

Date - 22/04/22

Letter No./RE-III/NDB/Ratlam/ 326

To,
The Executive Engineer,
MPPWD, Ratlam, Division,

Sub:- Up gradation And Reconstruction of Major District Roads in the State of Madhya Pradesh under NDB-III (Package-3) Construction of Ratlam-Morwani-Umar-RaotiBajana Road Length- 48.26 Km and Gunawad-Barbodna-Rughnathgarh-Kerwas-Uplai-Bhuteda Road Length 16.275 Km. Total Length 64.535 Km. **Regarding the change in width of toe line under forest area at Ratlam-Morwani-Umar-Raoti -Bajna Road.**

Ref:- As discussion held regarding about width (ROW) required under forest area.

Dear Sir,

As reference to above that the as desired, details of plan & profile and required width of R.O.W. in different stretches of forest area at Ratlam-Morwani-Umar-Raoti -Bajna Road of pkg-3, approved by Team leader office Bhopal, M/s L.N. MALVIYA INFRA PROJECTS PVT. LTD. are tabulated below:-

S.No.	Chainage	Length (in mtr)	R.O.W. required (in mtr)	Remarks.
1	14+740-18+060	3320	15.025	Plan & Profile Approved
2	39+000-39+910	910	15.140	Plan & Profile Approved
3	41+830-42+030	200	15.044	Plan & Profile Approved
4	44+000-44+660	660	15.030	Plan & Profile Approved
5	46+120-46+430	310	15.031	Plan & Profile Approved
6	38+110-39+000	890	-	Yet to be submitted by contractor
7	42+990-43+280	290	-	Yet to be submitted by contractor
Total		6580	Avrg-15.054	

Thus it is evident that the R.O.W. width of 15.054m. shall be sufficient for execution of works.

T.15

This is for your information and further necessary action please.

22/04/22 EE

Yours' Truly,

(Resident Engineer)
Package -3 Ratlam

Copy to:- 1. Team Leader, LNMIPPL Bhopal.

Head Office: T-10, IIIrd Floor, City Centre, Press Complex, Plot No. 1, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal (M.P.)462011
E-mail: lnmalviya@rediffmail.com, Website: www.lninfra.com CIN No. : - U45201MP2010PTC024316

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 4346 /टी.एस./21–22 रतलाम दिनांक 12/11/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल रतलाम
जिला रतलाम

विषय :– रतलाम मोरवानी उमर रावटी बाजना मार्ग चौडीकरण कर उन्नयन कार्य करने में प्रभावित 4.977 हे. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/3653 रतलाम दिनांक 10.11.2021

*****

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में अनुरोध है कि रतलाम मोरवानी उमर रावटी बाजना मार्ग चौड़ीकरण कार्य करने में प्रभावित वनभूमि 4.977 हे. भूमि पर निर्माण कार्य करने अनुमति के प्रकरण में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:–

बिन्दु क्रमांक 03 :– कक्ष क्र. पी–51 एवं पी–52 में प्रभावित होने वाली वनभूमि, वर्तमान विद्यमान सड़क की भौतिक स्थिति प्रस्तुत किए मानचित्र अनुसार ही है।

बिन्दु क्रमांक 04 :– वर्तमान विद्यमान सड़क वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित है। इस क्षेत्र की सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 1970–71 की टोपोशीट क्रमांक $46\frac{I}{16}$ जिसमें मार्ग (Cart track) प्रदर्शित हो रहा है एवं मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण वर्ष 1975 में किया गया है, जिसके अभिलेख संलग्न है।

कृपया मार्ग निर्माण हेतु अनुमति शीघ्र जारी करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

12/11/21
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक /टी.एस./ 21–22 रतलाम, दिनांक................

प्रतिलिपि :–

1) डायरेक्टर (एन.डी.वी.) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2) कलेक्टर जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्यालय से सम्पर्क कर अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पादित करावे।
4) रेसीडेंट इंजीनियर, मेसर्स एल.एन. मालवीय, एन.डी.वी. परियोजना रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

sd/-
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उदयन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

Ph. (0734) 2512101

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2021/ 7122 उज्जैन, दिनांक 02/11/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
रतलाम

विषय :— रतलाम—मोरवनी—उमर—रावटी—बाजना मार्ग चौड़ीकरण कर उन्नयन कार्य करने मे प्रभावित वनभूमि 4.977 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबद।

(ऑनलाईन प्रकरण क्रं./FP/MP/Road/44455/2020)

संदर्भ :— आपका पत्र क्रं. / माचि / 2021 / 3528 दिनांक 26—10—2021 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, जिससे आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम द्वारा रतलाम—मोरवनी—उमर—रावटी—बाजना मार्ग चौड़ीकरण कर उन्नयन कार्य अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राप्त ऑनलाईन प्रकरण में प्रभावित रतलाम वनमण्डल के परिक्षेत्र शिवगढ़ / बाजना के वनखण्ड माही भाग—4 के कक्ष क्रं. पी—69, 70, 76, 77 रकबा 2.744 हे. एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ के वन कक्ष क्रं. पी—51, 52 रकबा 2.233 हे. इस प्रकार कुल रकबा 4.977 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु भाग—I, II मे प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया है।

आपके द्वारा प्रेषित प्रकरण के संबध मे निम्नानुसार बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित करे।

01— वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. / 4050 दिनांक 30—12—2019 से प्रेषित आदर्श रोपण योजना के अनुरूप है ?

02— प्रभावित होने वाली वनभूमि के संबध मे क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन किया गया है ? स्पष्ट करे।

03— कक्ष क्रं. पी—51 एवं पी—52 मे प्रभावित होने वाली वनभूमि, वर्तमान विद्यमान सड़क के संरेखण से मानचित्र अनुसार भिन्न प्रतीत होती है।

04— क्या वर्तमान विद्यमान सड़क वर्ष 1980 के पूर्व की है ?

उपरोक्त बिन्दुओं अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव अविलंब भेजना सुनिश्चित करे।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

E:\data\DM\Ashu's Documents\DM111\2010\2021\Letters 2021.doc

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 2907 /टी.एस./21–22 रतलाम दिनांक 11-10-21

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल रतलाम
जिला रतलाम

विषय :– रतलाम मोरवानी उमर रावटी बाजना मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि प्रकरण में अभिलेख प्रस्तुत करने बावत्।

सन्दर्भ :– प्रस्ताव क्र./FP/MP/Road/44455/2020

*****

विषयांकित प्रकरण में अनुरोध है कि रतलाम मोरवानी उमर रावटी बाजना मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि प्रस्ताव क्र./FP/MP/Road/44455/2020 में पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किया गया था। जिसमें ली गई समस्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। प्रकरण संबंधित दस्तावेज आपकी ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न दस्तावेज :–

1) प्राधिकार पत्र (Authority Letter)
2) टोपो शीट (सर्वे ऑफ इण्डिया) प्रभावित वनभूमि हेतु।
3) जियो रिफरेन्स नक्शा।
4) औचित्य पत्र (Justification)
5) एनेक्जर–1 (फार्म–1) रैखिक परियोजना के लिए।
6) सी.ए. भूमि कलेक्टर आदेश।
7) टोपो शीट (सर्वे ऑफ इण्डिया) आवंटित भूमि हेतु।
8) जियो रिफरेन्स नक्शा आवंटित भूमि हेतु।
9) मौका पंचनामा।
10) वचन पत्र।
11) अभिस्वीकृति रसीद।
12) फार्म–ए (पार्ट–1) एवं अन्य

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

क्रमांक 2908 /टी.एस./ 21–22 रतलाम, दिनांक 11-10-21

प्रतिलिपि :–

1) मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2) कलेक्टर जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग रतलाम/सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम